Vol II Issue VII Jan 2013

Impact Factor : 0.1870

ISSN No :2231-5063

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Golden Research Thoughts
Volume 2, Issue. 7, Jan. 2013
ISSN:-2231-5063
Available online at www.aygrt.net

ORIGINAL ARTICLE

GRT

"विचाराधीन व्यक्तियों की समस्याओं एवं उनके मानव अधिकारों के विश्लेषणात्मक अध्ययन"में अनुसंधान विधि का उपयोग

विश्वास चौहान , कुसुम चौहान

(स . प्रा .) शासकीय राज्य स्तरीय विधि महाविद्यालय भोपाल (म . प्र .)
(प्राचार्य) एम . बी . खालसा विधि महाविद्यालय इंदौर (म . प्र .)

"प्रस्तावना"

- "अनुसंधान" सामान्य अर्थ में ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करता है |
- हम यह भी कह सकते है कि "अनुसंधान" एक विशिष्ट विषय पर प्रामाणिक सूचना के लिए वैज्ञानिक एवं कमवध्द अध्ययन है |
- "अनुसंधान" वैज्ञानिक अन्वेषण की एक कला है|
- "अनुसंधान" एक अकादमिक गतिविधि के रूप में भी तकनीकी रूप से परिभाषित की जा सकती है |
- "अनुसंधान" व्यक्ति समाज राष्ट्र को विकास के रास्ते पर अग्रसर करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण कहा जा सकता है|

अनुसंधान की परिभाषा :-

एडवांस लर्नरर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार "ज्ञान की शाखा के नवीन तथ्यों की खोज के लिए एक विशेष सावधानिक अन्वेषण या जांच अनुसंधान है |"

2 . शोध विधि (Research Methodology) की परिभाषा :-

अनुसंधान एवं अनुसंधान विधि दोनों अलर्गअलग मानी जा सकती है |

अनुसंधान के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी सर्वे साक्षात्कार इत्यादि आते है |
"अनुसंधान" जव वैज्ञानिक पध्दति उपकरण सिध्दांतों तथा तार्किक प्रकियाओं के आधार पर किया जाता है तो वह वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है |
वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्ध ज्ञान की विश्वसनीयता प्रमाणिकता और सत्यता की जांच की जाती है ऽ यह कार्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है जिसे अनुसंधान विधि कहते है |

परिभाषायें :-

फिशर्रसामाजिक अनुसंधान किसी समस्या को हल करने या जांच करने या नई घटना या नये संवंधों को खोजने के उद्देश्य से सामाजिक परिस्थितियों में उपयुक्त कार्य प्रणाली का उपयोग है |

अनुसंधान के उद्देश्य ः

अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक विधि से प्रश्नों को हल करने का होता है |
अनुसंधान मुख्य रूप से अप्रकट सत्य जो अभी तक खोजा नहीं गया है को खोजता है |
अनुसंधान एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है |

अध्ययन का उद्देश्य :-

किसी भी व्यवस्था में जनता की यह अपेक्षा रहती है कि उसे न्याय सहज एवं सुगम रूप से उपलब्ध हो | न्यायालय तक पहुँचने की प्रकिया अत्यन्त सरल एवं विधि की जटिलताओं एवं पेचीदगियों से रहित होनी चाहिए | इसके सार्थसाथ सभी व्यक्तियों को न्यय प्रभावी रूप से उपलब्ध हो पाए एवं न्याय के समान अवसर मिल सकें इस उद्देश्य की ध्यान में रखते हुये न्याय प्रशासन की व्यवस्थाएं अधिक खर्चीली एवं मँगी नहीं होनी चाहिए | सिमरो ने सही कहा है -
"वुध्दिमान विवेक से साधारण मनुष्य अवुभव से अज्ञानी आवश्यकता से और पशु स्वभाव से सीखते हैं |"

Title: "विचाराधीन व्यक्तियों की समस्याओं एवं उनके मानव अधिकारों के विश्लेषणात्मक अध्ययन"में अनुसंधान विधि का उपयोग
Source:Golden Research Thoughts [2231-5063] विश्वास चौहान , कुसुम चौहान **yr:2013 vol:2 iss:7**

आज न्यायालयों में विशाल संख्या में अनेक प्रकार के वाद काफी लम्बे समय से लम्बि पड़े हुऐ है हमारे पाए सेवा कोई विकल्प नहीं है कि शीघ्र एवं प्रभावी रूप से जनता को न्याय उपलब्ध हो पाए | कहने के लिए तो जनता को अनेक मूल अधिकार एवं अन्य विधिक अधिकार दिए गए हैं लेकिन वास्तविकता यह है हमारी अधिकांश जनसंख्या गरीब असहाय निरक्षर होने के कारम अपने अधिकारों को प्रवर्तित करवाने में असमर्थ रहती है उसका मुख्य कारण हमारी जटिलता से पूर्ण एवं महँगी न्यायिक व्यवस्था हैं | अतः आज यह आवश्यक हो जाता है कि न्यार्यप्रशासन में न केवल न्यायिक प्रशासन में न केवल न्यायिक आधिकारी ही अपने दायित्व का उचित निर्वाह करें अपितु समाज के सभी वर्ग मिलकर गरीब व असहाय व्यक्तियों को न्याय दिलावाने में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें | इसी उद्देश्य से एक नयी अवधारणा जिसे "लोकहित मुकदमा" के नाम से जाना जाता है का अवतरण हुआ |

ळोकहित मुकदमा विधिक सहायता एवं विधिक सेवाओं में अर्न्तानिहित भावनाओं ने मुझे इस विषय पर शोध करने के लिये प्रेरित किया है यह भी कह सकते हैं कि यही मेरे शोध का उद्देश्य है | लोकहित मुकदमा विधिक सहायता एवं विधिक सेवाओं का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है जिसे किसी सीमा में वांधन उचित एवं व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि यह अत्यन्त परिवर्तनशील है | लोकहित मुकदमा में परम्परागत प्राइवेट हित मुकदमा की तरह दो विपरीत हित रखने वाले पक्षकारों के वीच भूतकाल में हुई किसी घटना पर आधारित पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्वों का न्यायलय द्वारा निर्धारण नहीं किया जाता अपितु इस नव विकसित अवधारणा (लोकहित मुकदमा) के रहत राज्य एवं लोक प्राधिकारियों को न्यायालय द्वारा कर्तव्यों का वोध करवाया जाता है | इसके अन्तर्गत राज्य अपना विरोधी रूख न अपनाकर न्यायालय को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करता है | राज्य के अतिरिक्त व्यक्ति समाज की स्वयंसेवी संस्थाएं अधिवक्ता विधि छात्र एवं आध्यापक सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं गैर सरकारी संगठन आदि भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं |

जनता को शीग्र एवं रास्ता न्याय उपलब्ध हो पाए इसी दृष्टीकोण से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम **1987** के तहत लोक अदालत व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया है | राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण **1987** द्वारा लोक अदालत को एक कानूनी संस्था घोषित किया गया है | इसके द्वारा दिये गये निर्णयों को सिविल डिकी माना गया है |

अवधारणाओं का निर्माण :-

अवधारणा तथ्यों के एक वर्ग या समूह की संक्षिप्त परिभाषा को कहा जाता है |
अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रकिया में कुछ विशिष्ट लक्षणों वाले घटनाकम के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक सामान्यतः शव्द पर संज्ञा का प्रयोग करते है जो कि अवधारणा कहलाती है |
अवधारणा से एक प्रकार का रूप या संवर्ग का वोध होता है |

अवधारणा की परिभाषा :-

गुंडे एवं हन्ट के अनुसार ः सभी अवधारणाएं अमूर्त (ABSTRACT) होती है तथा वे यथार्तता (REALITY) के कुछ ही विशेष पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है|

अनुसंधान समस्या का चयन :-

"अनुसंधान" के लिए सर्व प्रथम एक समस्या का होना अति आवश्यक है जो या तो सैद्धांतिक या प्रायोगिक होती है और अनुसंधानकर्ता इसे अनुभव में आने पर हल ढूंढने के लिये प्रेरित होते है |

समस्या चयन के आधार :-

(A) अनुसंधान समस्या अनुसंधान के शीर्षक में इस प्रकार हो कि समाज में आवांछित या विरोध ना हो |
(B) "समस्या" ऐसी हो जो तथ्यात्मक या तार्किक रूप से हल योग्य हो |
(C) व्यक्तिगत मूल्यों रूचियों मान्यताओं से अत्याधिक प्रभावित न हो या वैज्ञानिक हो |
(D) "समस्या" समाज उपयोगी हो |
(E) "समस्या" एक कठिन लक्ष्य हो जो मामले पर प्रकाश डालने के लिए खोजी जायें |
(F) वहुत ज्यादा संकुचित या वहुत अधिक विस्तृत ना हो |
(G) अनुसंधान की पृष्ठभूमि के प्रति सरल एवं उपयोगी हो |
(H) अत्याधिक वित्तीय वोझ डालने वाली ना हो |
(I) आवश्यक साधनों से हल करने के लिए आशाप्रद हो |

प्राकल्पना (Hypothisis) का निर्माण एवं परीक्षण :-

प्राकल्पना "हायपोथिसिस" एक अंग्रजी शव्द है जो Hypo अर्थात् Blow एवं Thesis अर्थात्Theory से मिलकर वना है जिसका अर्थ है Blow Theory अर्थात्सिध्दांत की पूर्व घोषणा करना |

परिकल्पना का निर्माण :-

सर्वपथम "नवीन युक्ति" ध्यान से आती है एवं जिसका प्रारंभिक आक्लन एवं उपलब्ध साहित्य के अध्ययन या पुनर्निलोकन से पुष्टि होती है | उसका समस्या कथन एवं कियात्मक रूप मिलकर हायपोथिसिस का निर्माण करता है |

परिभाषाऐं ः

वेगार्डस के अनुसार - प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्थापना है |

अनुसंधान विधि :-

प्रोफेसर "हर्स्ट" के अनुसार

"विधिक अनुसंधान इसके विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित निश्चित सीमाओं के अंदर ही विचरित होता है क्योंकि यह विचारों पर आधारित नहीं होता है वर्तमान विधि व्यवस्था को सही रूप से प्रकट करता है |"

भारत में विचाराधीन व्यक्तियों की स्थिति :-

भारत सरकार के नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय विभाग द्वारा जारी प्रिज़न स्टेटिक्स वर्ष **2004 2005** एवं **2006** तीनों वर्षो के आकंड़े देखने से प्रतीत होता है कि भारत में कुल कैदियों की तुलना में विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक है |

इसी प्रकार जब जेल संख्या और क्षमता की स्थिति को देखते है तो वर्ष **2006** के अंत तक संपूर्ण भारत में सभी जेलों को मिलाकर कुल संख्या **1336** है | जिसमें **263911** कैदियों को रखे जाने की क्षमता है | किंतु जब परिरूध्द व्यक्तियों के आकड़े देखते है तो बंदियों की संख्या **373271** है | जो क्षमता से करीब **14 . 14** प्रतिशत अधिक है | इस प्रकार विचाराधीन व्यक्तियों एवं सिध्ददाषि कैदियो दोनों के ही रहने की स्थिति ठीक नहीं है | संख्या अधिक होने के कारण सुविधाओं का अभाव होना स्वाभाविक है | भारत में कार्यरत **1336** जेलों में से लगभग **1300** जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे है जिनमें से लगभग **66** प्रतिशता विचाराधीन व्यक्ति है |

विभिन्न राज्यों में स्थिति :-

मध्यप्रदेश में विचराधीन व्यक्तियों की स्थिति ें

यदि म . प्र . के जेल विभाग द्वारा जारी किये आंकड़ो को देखा जाये तो मध्यप्रदशि में कुल कैदियों की तुलना में विचाराधीन कैदियों की संख्या अत्याधिक है |

मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा इस विषय पर जानकारी एकत्रित की गई है | जिसमें यह पाया गया कि मध्यप्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी है | चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त मात्रा में है जेलों में मिलने आने वाले की उचित व्यवस्था नहीं है तथा जेलों भोजन स्तर उचित नहीं है | मध्यप्रदेश में जेल सुधार किये जाने की आवश्यकता है जब वर्तमान में जेलों की व्यवस्था वहां रहने वाले सिध्द दोष कैदियों के लिए भी ठीक नहीं है तो वहां विचाराधीन व्यक्तियों को नहीं रखा जाना चाहिए उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए |

मध्यप्रदेश की कार्यरत **120** जेलों में से **81** जेलों में क्षमता से अधिक संख्या में कैदी रह रहे हैं जिसमें **70** प्रतिशत कि संख्या विचाराधीन कैदियों की है |

स्वच्छता की भी कमी है म . प्र . जेल मेन्यूल के अनुसार पांच कैदियॉ के लिए **1** शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन वर्तमान में **1** शौचालय का प्रयोग **14** कैदियों द्वारा किया जाता है मध्यप्रदेश में कुल **2279** शौचालय जेलों में है तथा कैदियों की संख्या **3200** है अतः **4121** शौचालयों का निर्माण और किया जाना चाहिए|

देश में विचाराधीन कैदियों की स्थिति :-

चेन्नई की कोल में **23** मछुआरे जो कि म्यांमार के रहने वाले हैं एवं जो कि है **13** सितंबर **1997** को यहां लाए गए थे क्योंकि चक्रवात के कारण वे भारतीय समुद्र में आ गये थे और उन्हें विदेशी अधिनियम की धारा **14** तथा पासपोर्ट अधिनियम की धारा **12ह्य1ह** के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया वे इस बात से बेखबर हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है इस संबंध में उनका विचारण लंबित है |

देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो जेल को आराम गार समझते हैं एवं जो जेल के बाहर दो वक्त का खाना नहीं जुटा सकते वे ठंड के मौशम में सड़क पर रात बिताने के बजाय जेल में रहना अधिक उचित समझते हैं | यहां गरीबी विचाराधीनता का एक कारम है | दिल्ली मे तिहाड़ जेल में इस तरह के कुछ विचाराधीन कैदी उपस्थित हैं | मुर्शीदाबाद जेल के सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री . सी . रामाकृष्णन ऐसे विचाराधीन व्यक्तियों कोक "राज्य के दामाद" की संज्ञा देते हैं जो अपनी मजबूरी के कारम जेल में आ जाते हैं |

आंध्र प्रदेश में प्रतिदिन **27** रूपये प्रति कैदी खाने पर खर्च किया जाता है पड़ोसी राज्य कर्नाटक में प्रतिदिन प्रति कैदी का खर्च **95** रूपये है | कर्नाटक जेल मेनुअल **1978** के अनुसार प्रत्येक विचाराधीन कैदी को सप्ताह में एक दिन **115** ग्रामह ड्डी रहित मांस भोजन में दिया जाना चाहिए जो **7000** लोगों के लिए अनुमानित रूप में **900** किलो होगा एवं जिसकी कीमत **1** लाख **8** हजार रूपये होगी | क्या ऐसी सुविधा देना राज्य के लिए संभव होगा |

1998 में विचाराधीन व्यक्ति के हित से संबंधित एक लोक हित वाद का निर्णय करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अधिनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया था कि वे उन विचाराधीन व्यक्तियों को जो छः माह से अधिक समय से जेल में हैं एवं यदि वे सिध्द दोष होते तो उन्हें सात वर्ष कारावास कि सजा हो सकती है उन्हें जमानत पर छ़ोड दें | **1996** की रूलिंग को विचाराधीन व्यक्तियों के अधिकार पत्र की संज्ञा दी जाती है |

देश में शीघ्र विचारण न्यायालयों की स्थापना :-

जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने एवं न्यायालयों में वादों की अत्याधिक संख्या को कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शीघ्र विचारण न्यायालय खोले जाने की योजना बनाई गई जिसका उद्देश्य जल्द से जल्द न्याय प्रदत्त करवाना है इसी उद्देश्य के साथ इस न्यायालयों की स्थापना की योजना केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई |

यह नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश में **1734** शीघ्र विचारण न्यायालयों की स्थापना **1** अप्रैल **2001** तक करने का कार्यक्रम बनाया गया था किंतु जनवरी **2006** तक केवल **1562** शीघ्र विचारण न्यायालयों की स्थापना की गई है |

वित्त आयोग द्वारा इनके लिए **509 . 90** करोड़ रूपये की राशि प्रदान किए गये है | इस योजना के अंतर्गत एक जिले में पांच शीघ्र विचारण न्यायालयों की स्थापना होती है जिसमें रिटायर्ट जिला न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को **2** वर्षो के लिए नियुक्त किया जायेगा इन न्यायाधीशों को **1** माह में **14** वादों का निर्णय करना होगा | न्यायालय विचाराधीन कैदियों के एक लाख अस्सी हजार मामलों का **1** वर्ष में निर्णय करेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है |

वर्तमान में लगभग दो करोड़ चालीस लाक के लगभग वाद जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित है विधि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार **1543696** मामलें शीघ्र विचारण न्यायालय को सौपे गये थे जिनमें से **803493** मामलों को शीघ्र विचारण न्यायालय द्वारा निपटाया जा चुका है |

इस प्रकार इन न्यायालयों की स्थापना से जनता का न्यायालयों द्वारा शीघ्र विचारण एवं शीघ्र न्याय में विश्वास बढ़ेगा | इनके द्वारा छोड़े गए विचाराधीन

DSpace™

व्यक्तियों से एवं जल्द निर्णय से **370** करोड़ प्रतिवर्ष बचाए जा सकेगें |

इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के विभिन्न न्यायालयों से यह पूछा गया कि उन आपराधिक मामलों में जो कि पांच वर्षो से या अधिक समय से लंबित है उनके निर्णय के लिए विशेष बैच का गठन क्यों नहीं किया गया | न्यायाधीश के . टी . थामस तथा आर . पी सेठी की खंडपीठ ने कहा कि शीघ्र न्याय प्रसन करना अनु **21** के अंतर्गत मूल अधिकार है |

शीघ्र विचारण न्यायालय **1** अप्रैल **2001** से सभी जगह पूरे देश में शुरू होने थे लेकिन वास्तविकता में ये **1** अप्रैल **2001** तक पूर्ण रूप से कार्यरत्नहीं हो सके आज तक कुल **1560** न्यायालयों की स्थापना इस संबंध में हो पाई है सबसे अधिक शीघ्र विचारण न्यायालय उत्तर प्रदेश में खुलना है वर्तमान में इनकी सर्वाधिक संख्या **187** है | इस संबंध में मध्यप्रदेश मे **85** न्यायालयों की स्थापना की जानी थी ऽ किंतु वर्ष **2005-06** की रिपोर्ट के अनुसार म . प्र . में कुल **66** शीघ्र विचारण न्यायालय ही खोले जा सकें है |

शीघ्र विचारण न्यायालय द्वारा निपटाये गयें मामलों की संख्या

क	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	शीघ्र विचारण न्यायालय संख्या	न्यायालयों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या
1	आन्ध्रप्रदेश	86	94034	53028
2	अरूणाचल प्रदेश	03	1907	452
3	टासाम	20	20887	14050
4	ध्वहार	150	78495	29171
5	छत्तीसगढ़	31	29820	20223
6	घोवा	05	1889	629
7	गुजरात	166	280048	47823
8	हरियाणा	16	10606	8555
9	हिमाचल प्रदेश	09	5263	2546
10	जम्मू और काश्मीर	—	—	--
11	झारखण्ड	89	5337	34984
12	कर्नाटक	93	29377	19629
13	केरला	03	35061	24358
14	मध्यप्रदेश	66	5862	40242
15	महाराष्ट्र	187	262124	101311
16	मणिपुर	02	1351	985
17	मेघालय	03	503	157
18	ध्जोरम	03	904	368
19	नागालेण्ड	02	461	265
20	इड़िसा	41	31864	23303
21	प्ंजाव	41	15737	11868
22	राजिस्थान	83	55621	34448
23	सिक्कीम	—	—	--
24	तमिलनाडु	49	165290	138883
25	त्रपुग	03	2395	2041
26	उत्तर पदेश	242	228050	141799
27	डतरांचल	42	53370	36793
28	पश्चिम वंगाल	119	26304	15583
	क्लु	1562	1543696	803498

म . प्र . स्थिति देखे तो म . प्र . में कुल **120** जेल है जिनमें लगभग **81** जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे है जिनमें **70**ः संख्या विचाराधीन व्यक्तियों की है|

वर्ष **2008** में जेल विभाग म . प्र . प्रशासन द्वारा मेमो आफ जेल पापुलेशन जारी किया जिसमें **31 . 20 . 2008** कि स्थिति का वर्णन किया है जिसके अनुसार :-

जेल संख्या	आवास क्षमता	निरूद्ध व्यक्ति	विचाराधीन व्यक्ति	अधिकता
120	23430	35707	19640	166 %

इसी प्रकार यदि संपूर्ण भारत की स्थिति का अवलोकन करे तो वर्ष **2006** में नेशनल काईम रिकार्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय विभाग द्वारा जारी प्रिजन स्टेटिटिकस इण्डिया **2006** के अनुसार भारत में वर्ष **2005** में विचाराधीन कैदियों की संख्या **237076** व वर्ष **2006** में **245244** है जवकि इसी के सापेक्ष कैदियों की संख्या कमशः **108572** व **116675** थी जो लगभग **21**% है | जहॉ तक जेल क्षमता का प्रश्न है | संपूर्ण भारत कि जेले की क्षमता **263911** केदियों कि है जवकि **2006** कि रिपोर्ट के अनुसार **373227** विचाराधीन कैदी जेलों में वंद है | जो क्षमता से **41**ः अधिक है |

शीघ्र की तकनीक :-

प्रस्तुत शोध में परिकल्पनाओं अधारित सर्वेक्षण की तकनीक अपनायी गयी है | जिसमें विभिन्न संहिताओं का अध्ययन कर विभिन्न परिकल्पाओं की गयी एवं उन परिकल्पनाओं की सत्यता परखने के लिये मध्य प्रदेश के मध्य भारत एवं महाकौशल क्षेत्र में अधिवक्ताओं न्यायाधीशगणों पक्षकारों विधिविद्यार्थीयों से चर्चा उपरान्त निष्कर्ष निकाले गये इसमें प्राप्त निष्कर्षो एवं जानकारियों का सांख्यकीय विश्लेषण प्रश्न से प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया | सम्पूर्ण शोध में विधिक प्रावधानों का विशलेषात्मक अध्ययन सर्वोच्य न्यायालय एवं उच्च न्यायालायों को निर्णयों का समालोचनात्मक अध्ययन तथा सवेक्षण किया गया है | तथा वैज्ञानिक पध्दति से कल्पनाओं का परिणक्षण करण करके परिणामों का निष्कर्ष प्राप्त किये है |

विश्लेषण (Analyasis)

साथ ही जव न्यायालयों कि स्थिति देखते है तो विधि मंत्रालय द्वारा वर्ष **2001** अप्रेल तक संपूर्ण भारत में **1734** शीघ्र विचारण न्यायालसो की स्थापना का लक्ष्य वनाया था ताकि विचाराधीन मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके किंतु विधि विभाग कि वार्षिक रिपोर्ट **2005-2006** से स्पष्ट होता है कि वर्ष **2005-2006** अर्थात **5** वर्षो वाद तक भी इस लक्ष्य कि प्राप्ति नहीं हो सकी और **2005-06** तक केवल **1562** शीघ्र विचारण न्यायालय कि स्थापना ही कि जा सकी |

उक्त सभी तथ्यों के अवलोक के उपरांत स्पष्ट होता है कि न्यायालयों की कमी व जेलों में वढ़ती विचाराधीन कैदियो की संख्या विचाराधीन कैदियों की समस्याओं का प्रमुख कारम है क्योंकि विचारण में विलंव होने के कारम अनेको व्यक्तियों को विना अपराध किये ही या विना दोषी हुए ही जेलों में रहना होता है और उनके साथ अन्याय कि स्थिति होती है क्योंकि अपराधी को दण्ड देना ही न्याय नही है वल्कि निर्दोष को दोषमुक्त करना भी न्याय होता है |

शोध की दूसरी परिकल्पना :-

विचाराधीन कैदियों की समस्याचे एवं जेलों की स्थिति आदि से ज्ञात होता है कि क्षमता से अधिक संख्या होने से अनेकों समस्याऐं उत्पन्न होती है और रोटी कपड़ा जैसी आवश्यक वस्ततु की विचाराधीन कैदियों को नही मिल पाती साथ ही सिध्ददोष कैदियों के साथ रहने पर विचाराधीन कैदियो पर वुरा प्रभाव पड़ता है |
म .प्र . मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष **2006** में जारी "मानव अधिकार पत्रिका **2006** प्रवेशांक" को प्रकाशित जस्टिस नारायण सिंह "आजाद" के लेख के अनुसार म .प्र . के कारागारों से प्राप्त पिछले दस वर्षो में मरत होने वाले वंदियों के विवरण परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि अधिकाशः मृत्यु आयोग खुन की कमी कमजोरी वुखार एवं संकमण के रूप में फैलने वाली वीमारियो के कारम हुई है | जो कि जेलो कि चिकित्सकीय स्थिति को प्रकट करती है जेल मेमो **2008** के अनुसार म .प्र . कि जेलो में पदस्थ चिकित्सीय एवं पैरा मेडिकल स्टाफ कि स्थिति के अनुसार कुल **35707** कैदियों ह्यविचाराधीनइसिध्ददोषह पर कुछ **17** चिकित्सक इस प्रकार **2100** से अधिक कैदियों पर **1** चिकित्सक ऐसे में स्वास्थ स्थिति के वारे में अन्य कुछ करने कि आवश्यकता नही है कि कैसी स्थिति में विचाराधीन कैदियों को रहना पड़ता है |

दिनांक **20** नवम्वर **2008** को दैनिक भास्कर कि पत्रिका D.B स्टार में प्रकाशित लेख "मौत की जेल" भी जेल की स्थिति का उल्लेख करती है कि डाक्टर की कमी के कारण भेपाल जेल जो कि िप्राप्त है में एक वर्ष में **9** मौते हुई म .प्र . कि राजधानी भोपाल में ऐसी स्थिति है तो दूरदराजके जेलों में रहने वाले कैदियो कि स्थिति कि विषमतायें चिंता का विषय तो है ही ऽ

शोध की अन्य परिकल्पना :-

विचाराधीन व्यक्तियों कै ऐतिहासिक एवं वर्तमान विधि में संरक्षण एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों द्वारा किये गये प्रयासो व विधि निर्माण के संवंध में उल्लेख किया गया है | विचाराधीन व्यक्तियों को लेकर कोई भी विशेष विधि का निर्माण नहीं किया गया है विचाराधीन व्यक्तियों के अधिकारों एवं संरक्षणओं तथा उनके शीघ्र विचारण के संवंध में हो |

साथ ही उक्त विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में द्वितीय "राज्य सूची का विषय है अतः प्रत्येक राज्य की इस संवंध में विभिन्न**2** नीति होने के कारम एवं केन्द्रीय विधान मण्डल विधान द्वारा कोई विशेष कदम न उठाने के कारम कोई विशेष विधि वर्तमान में नहीं है |"

विचाराधीन व्यक्तियों की अधिकता होने अपने आप में एक समस्या है साथ ही इस समस्यों के पीछे महत्वपूर्ण कारण न्यायालय शीघ्र निर्णय न दिया जाना भी है | न्यायालय द्वारा निर्णय देने में अनेको मामलों में वर्षो तक विलंव किया जाता है | साथी ही शासन द्वारा इस संवंध में शीघ्र विचारण न्यायालय की स्थापना जो लक्ष्य **2001** तक रखा था वह आज दिनांक तक भी पूरा नही हो पाया | वर्तमान में म .प्र . में केवल **66** शीघ्र न्यायालय ही निर्मित किये जा सके | जवकि यह लक्ष्य **85** का था | इसी प्रकार संपूर्ण भारत में केवल **1562** न्यायालयों की स्थापना की जा सकी | वर्ष **200506** के रिपोर्ट अनुसार शीघ्र विचारण न्यायालयों को **1543696** मामलें हस्तांतरित किये गये जिनमें से मात्र **803498** मामलें का निराकरण कर पाया है जो लगभग **50** प्रतिशत है अर्थात शीघ्र विचारण न्यायालयों की स्थापना के उद्देश्य में भी शासन पूर्ण रूप से सफल नही हो पाया है |

सुझाव :-

(1)अधिकता (Over Crowding) के संवंध में जेलों में क्षमता से अधिक संख्या में कैदियों का होना के इस समस्या से निपटने के लिए वहुउद्देश्य नीीत वनाई जानी चाहिए इसके लिए निम्न सुझाव है -
(i)इस संवंध में एक समय सीमा निर्धारित कर जेल विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न प्रकार की जेलों में कैदियों की अतिरिक्त संख्या एवं प्रतिशत ज्ञात किया जाना चाहिए एवं जहां क्षमता से कम संख्या में कैदी है वहां उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए इसके अतिरिक्त नई जेलों का निर्माण करने के लिए शासन द्वारा प्रतिवर्ष राशि स्वीकृत कर निर्माण कार्य करवाया जाना चाहिए |
(ii)दंड प्रकिया संहिता की थारा **432** से **433** | समुचित सरकार को विशेष अवसरों पर या परिस्थितियों में विशेष वर्ग के कैदियों की सजा माफ कर उन्हें छोड़ सकती है इसका क्षेत्र वढ़ाते हुए और अधिक संख्या में जेलों में विरूध्द व्यक्तियों को छोड़ा जाना चाहिए |
(iii)कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को जेलों का दौरा प्रति सप्ताह कर साधारण अपराध में निरूध्द अभियुक्तों की सूची वनाकर शीघ्र उनका विचारण कर वाद समाप्त कर देना चाहिए |
(iv)अमानवीय अपराधों की श्रेणी में आने वालें अपराधों का क्षेत्र वढ़ाया आना चाहिए एवं जल्द से जल्द जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए |
(v)उच्चतम न्यायालय द्वारा कामन कास वनाम भारत संघ के वाद में दिये गए निर्देशों क ापूर्ण कठोरता

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net